


विज्ञापन
छ0ग0 शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित छ0ग0 राज्य
पायलट माडल स्कूल योजना

छ.ग. राज्य में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित हायर सेकेण्डरी स्कूलों में से पायलट के रूप में 80 हायर सेकेण्डरी स्कूलों को शासन ने माडल स्कूल घोषित किया है। प्रत्येक विकास खण्ड में गुणवत्तायुक्त शिक्षा मुहैया कराने में ये स्कूल अग्रणी होंगे। यहाँ के प्रत्येक कर्मचारी/शिक्षक, प्राचार्य सभी इस मूल भावना को साकार करने के लिए दृढ़संकल्पित रहेंगे। इसके लिये इन्हें पांच वर्षों का स्थायित्व प्रदान किया जावेगा। जिला स्तरीय समिति द्वारा प्राचार्य का चयन किया जाएगा। इसी प्रकार माडल स्कूलों के लिए व्याख्याता/ शिक्षा कर्मी वर्ग-1 का चयन संबंधित स्कूल के प्राचार्य की अध्यक्षता में गठित एक समिति करेगी। इन सभी पदों के लिए स्कूल शिक्षा विभाग/ पंचायत विभाग के इच्छुक लोगों से आवेदन मंगाये जाते हैं।

चयन का आधार पूर्व प्रदर्शन, सतत सीखने की तैयारी, नेतृत्व क्षमता, प्रबंध कौशल एवं भविष्य की सम्भावनाएं होंगी। माडल स्कूल में काम करने के इच्छुक लोग संबंधित जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को आवेदन करें। आवेदक अपने चयन हेतु तीन माडल स्कूलों की प्राथमिकता दे सकते हैं

आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 जून, 2009 होगी। आवेदन-पत्र स्वीकृत होने के पश्चात् संबंधितों को साक्षात्कार /लिखित परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा। अपनी योग्यता, अनुभव व अन्य कोई विशेष अर्हता से संबंधित दस्तावेज लगाना न भूलें। अधिक जानकारी के लिये जिला शिक्षा अधिकारी अथवा लोक शिक्षण संचालनालय के दूरभाष क्रमांक 22331384-86 अथवा एन0आई0सी0 की वेब साइट cg.nic.in से सम्पर्क करें। ।


आयुक्त, लोक शिक्षण,
छत्तीसगढ़

२